प0सं0—वि0व0संग्रह / (2019—20) / 318 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 6 जून, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय : **एम0पी0आर0 1, 2 एवं 3 के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे बकाया वसूली के ऑकड़ों व व्यास सेन्ट्रल पर ऑकड़ों को शुद्ध व एकरूप किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया समय दि0 31.05.2019 से बढ़ाकर दि0 15.06.2019 किये जाने हेतु।**

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या 81 दिनांक 12.04.2019 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा माह मार्च, 2019 के एम0पी0आर0—1 (आच्छादित बकाया) व व्यास पोर्टल पर प्रदर्शित बकाया के मध्य रू0 6,276.00 करोड़ का अन्तर प्रदर्शित हो रहा था। ऑकड़ों में अन्तर आज भी बना हुआ है।

आच्छादित बकाया से सम्बन्धित ऑकड़ों को शुद्ध करने व ऑफलाइन (पुराने वसूली प्रमाण पत्र) जो पोर्टल पर फीड नहीं किये गये हैं। इनको पोर्टल पर फीड करने हेतु व ऑकड़ों शुद्ध करने हेतु दि0 31.05.2019 तक का समय पूर्व में दिया गया था, जिसकी दैनिक समीक्षा मुख्यालय द्वारा की जा रही है, परन्तु उक्त दोनों बिन्दुओं पर प्रगति संतोषजनक नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पोर्टल पर ऑकड़ों के निस्तारण व व्यास पोर्टल पर फीडिंग में यदि कोई समस्या आती है, तो तत्काल समस्या का विस्तृत उल्लेख करते हुए आई0टी0अनुभाग मुख्यालय की ई—मेल आई0डी0 ctithqlu-up@nic.in पर मेल के माध्यम से अवगत कराया जाए।

अतः आप सभी को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि व्यास सेन्ट्रल पोर्टल पर व एम0पी0आर0 में आ रहे अन्तर को प्रत्येक दशा में दि0 15.06.2019 तक शुद्ध कर लिया जाए, क्योंकि यही ऑकड़ें महालेखाकार को भविष्य में प्रेषित किये जायेंगे।

04/6/19

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।